न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 126/2018

1 ओमकंवर पत्नी बिरजू सिंह जाति दरोगा निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 परमेश्वर पुत्र मोतीलाल।
2 घनश्याम सिंह पुत्र भंवरलाल।
3 सीताराम पुत्र भंवरलाल।
4 रणजीत पुत्र भंवरलाल।
5 राजकुमार पुत्र भंवरलाल।
6 दलीप पुत्र भंवरलाल।
7 सरस्वती बेवा भंवरलाल।
8 प्रहलाद पुत्र जगदीश।
9 मदनलाल पुत्र जगदीश।
10 बोदूराम पुत्र जगदीश।
11 चन्द्राराम पुत्र जगदीश।
12 महेन्द्र पुत्र जगदीश फौत।
12/1 मीना कंवर पत्नी महेन्द्र।
12/2 सपना पुत्री महेन्द्र।
12/3 सुगनसिंह पुत्र महेन्द्र।
12/4 मान्सी पुत्री महेन्द्र समस्त जाति दरोगा निवासीगण राधाकिशनुपरा तहसील व जिला सीकर।
13 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील नियमित अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 96 सीपीसी विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक 11.02.2017 संशोधित डिक्री दिनांक 31.10.2017 एवं पुनः संशोधित डिक्री दिनांक 07.05.2018 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर दावा संख्या 57/2011 ब्ठनवानी परमेश्वर बनाम मदनलाल आदि दावा बाबत उद्घोषणा अधिकार, दुरूस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18/11/2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017, 31.10.2017, 05.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट परमेश्वर ने दावा बाबत उद्घोषणा अधिकार, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 एवं धारा 136 प्रस्तुत कर गत खसरा नम्बर 341/5 हाल खसरा नम्बर 198,199 एवं 341/1 से 341/7 के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ओमकंवर की ओर से यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी परमेश्वर ने अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 19 के रूप में संयोजित कर वाद प्रस्तुत किया है। दिनांक 10.05.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम हजफ करवा दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, वादी द्वारा खसरा नम्बर 205 के सन्दर्भ में कोई अनुतोष चाहे बिना खसरा नम्बर 205 एवं 198/1007 के सन्दर्भ में निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को डिक्री जारी की गई है। इसके उपरान्त दिनांक 31.10.2017 एवं 07.05.2018 को संशोधित डिक्री जारी की गई है। संशोधित डिक्री से पूर्व भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय में विभाजन का अनुतोष नही चाहा गया था। इसके उपरान्त भी अपीलांट को नोटिस दिये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। विचारण न्यायालय में वादी ने साक्ष्य से वाद को साबित नही किया है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(1) पेज 1451,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485, आर.आर.टी. 2019(2) पेज 84, आर.आर.टी. 2009(1) पेज 467, आर.आर.टी. 2013(2) पेज 878, आर.एल.डब्ल्यू 2008(2) पेज 1142, आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1135, आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1390 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपीलांट द्वारा विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया गया है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट को किस प्रकार क्षति हुई है। यह स्पष्ट नही किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष कब्जे काश्त को लेकर विवाद नही था। नये भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकार्ड में नक्शे में अंकन को दुरूस्ती करवाई जानी थी। तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड और मौके के आधार पर दुरूस्ती की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस दुरूस्ती के उपरान्त अपीलांट को 1.08 हैक्टेयर रकबा रिकार्ड में अंकित किया गया है। इससे पूर्व 0.46 हैक्टेयर रकबा दर्ज था स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नही होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी हों ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है एंव प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है।

प्रकरण का गुणावगुण का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विचाराधीन निर्णय से अपीलांट को किस प्रकार क्षति हुई है यह स्पष्ट नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष कब्जे काश्त को लेकर विवाद नही था। नये भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकार्ड में नक्शे में अंकन को दुरूस्ती करवाई जानी थी। तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड और मौके के आधार पर दुरूस्ती की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना नही गया है किन्तु विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट का राजस्व रिकार्ड में न तो रकबा कम किया गया है न ही अपीलांट की वर्तमान कब्जे काश्त की अवस्थिति को परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है। इस दुरूस्ती के उपरान्त अपीलांट को 1.08 हैक्टेयर रकबा रिकार्ड में अंकित किया गया है। इससे पूर्व 0.46 हैक्टेयर रकबा दर्ज था स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नही होते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट विचाराधीन निर्णय से किस प्रकार व्यथित है, अपीलांट को क्या क्षति हो रही है यह स्पष्ट करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में हम विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर